

दावा/आपत्ति दर्ज करने संबंधी विहित प्रपत्र

क्र. सं.	विषय	विवरण (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा।)
1.	विज्ञापन संख्या	03 / 2026
2.	पदनाम	
3.	रजिस्ट्रेशन नम्बर	
4.	अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
5.	पिता का नाम	
6.	फोटोयुक्त पहचान-पत्र (संलग्न करें)	
7.	प्रकाशित सूची में दावा/आपत्ति का कारण	
8.	दावा/आपत्ति का विवरण	
9.	साक्ष्य (यदि हो, तो संलग्न करें)	

नोट:— किसी भी प्रकार की सूचना, त्रुटि/गलत/असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

.....
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (तिथि सहित)

दावा/आपत्ति दर्ज करने संबंधी दिशा-निर्देश

1. संबंधित अभ्यर्थियों की दावा/आपत्ति केवल उक्त विहित प्रपत्र में ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्ति आवेदन/ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आपत्ति की मूलप्रति (Hard Copy) निर्धारित तिथि (24.09.2026) को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना-14 में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक विहित प्रपत्र में **स्वयं उपस्थित होकर** जमा करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त दावा/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. दावा/आपत्ति का कारण साक्ष्य सहित स्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। अस्पष्ट अथवा अपठनीय या साक्ष्य रहित दावा/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आपत्ति (साक्ष्य सहित) के आधार पर प्रमाण-पत्र सत्यापन में उपलब्ध कराये गये कागजात/दस्तावेज आदि की जाँच की जाएगी। अर्थात् अभ्यर्थी केवल प्रकाशित सूची में उल्लिखित Remarks (कारण) के विरुद्ध ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इससे भिन्न नहीं।
5. अयोग्य (Disqualify) घोषित किये गये अभ्यर्थी के द्वारा Certificate की स्व-अभिप्रमाणित प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि को स्वयं कमिटी के समक्ष जाँच हेतु उपस्थित होना होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन में अंकित किये गये आरक्षित कोटि का प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये जाने/उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उन्हें आवेदित कोटि का लाभ नहीं दिया गया है, से संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा दावा किये गये कोटि से संबंधित प्रमाण-पत्र (यथा-जाति प्रमाण-पत्र/क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र/आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र/आवासीय प्रमाण-पत्र, जो भी लागू हो) की स्व-अभिप्रमाणित प्रति एवं प्रवेश-पत्र की प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति के साथ कमिटी के समक्ष जाँच हेतु उपस्थित होना होगा।